हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

षष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 49

मंगलवार, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण,1941 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष के सदन में प्रवेश करते ही हाथ उठाकर अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी। श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधायक दल द्वारा नियम-67 के अन्तर्गत मांगी गई चर्चा पर जहां पिछले कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उन्हें बिना अपनी बात कहने का अवसर दिए ही सदन में उत्तर दिया है वहीं आज माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस प्रकरण को लेकर जो उच्चस्तरीय जांच की बात कही गई है, ऊना जिला पुलिस अधीक्षक को वहां से बदले बिना उस जांच का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह से सभी प्रकार के माफिया के खिलाफ है।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित जांच सी.आई.डी. द्वारा आई.जी. रैक के अधिकारी की निगरानी में होगी और इस जांच की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत होगी। पुलिस अधीक्षक ऊना इस जांच से अलग रहेंगे। जांच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी और हम सभी को इस जांच को निष्कर्ष तक पहुंचने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक के व्यक्तिगत स्टाफ को इस तरह की कार्रवाई को लेकर विधायक की श्रेणी में लाना ठीक नहीं है। जांच घटित घटना की हो रही है, विधायक की नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने भी पूर्व में अपने साथ घटी घटना को सदन में रखना चाहा लेकिन व्यवधान के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी।

श्रीमती आशा कुमारी ने कहा कि इस प्रकरण में विधायक को संलिप्त करने का प्रयास किया गया है जिस कारण से ही कांग्रेस विधायक दल इस मामले को उठा रहा है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस अधीक्षक-ऊना को जांच से दूर रखना अनिवार्य है क्योंकि मामले के गवाह सभी पुलिस कर्मचारी उनके मातहत है। कांग्रेस विधायक दल सभी तरह के माफिया के खिलाफ है। श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री को भी खनन माफिया पर रोक लगानी चाहिए।

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह स्वयं हर जिले में जाकर खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री सुखविन्द्र सिह सुक्खु ने भी मांग की कि जांच की निष्पक्षता के लिए पुलिस अधीक्षक, ऊना को अवकाश पर भेजा जाना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि आई.जी. पुलिस की देख-रेख में सी.आई.डी. द्वारा की जाने वाली जांच पर कांग्रेस विधायक दल को भरोसा रखना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, ऊना को स्थानांतरित करने की मांग करना उचित नहीं हैं क्योंकि जांच से पूर्व यह कहना सही नहीं है कि इस मामले में कौन दोषी है।

(कांग्रेस विधायक दल ने मुख्य मंत्री के उत्तर से सहमति न रखते हुए नारेबाजी आरम्भ की और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए।)

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 1166 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1167, 1169, 1171 तथा 1172 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। सदस्यों के अनुपस्थित न होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1168 तथा 1170 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 1173 से 1220 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 295 से 317 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(12.05 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः आयुर्वेद-ए0(3)2/2017 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.08.2018 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः आयुर्वेद-ए0(3)20/99 दिनांक 11.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2019 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 66वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2019-20)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत "मुख्य मन्त्री बाल उद्धार योजना" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत "समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम तथा समेकित बाल संरक्षण योजना" की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2019-20)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

(4) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2019-20)** ने समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. नियम समिति का प्रतिवेदन

श्री हंस राज, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति, (वर्ष 2019-20) (तेरहवीं विधान सभा) ने नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नियम-62 के अंतर्गत सूचना देने वाले सदस्य के उपस्थित न होने के कारण विषय नहीं उठाया गया।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के ऐतिहासिक निर्णय पर वक्तव्य दिया।

श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा "इंदिरा गान्धी मेडिकल कॉलेज, शिमला में गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplant)" सुविधा प्रदान करने बारे दिए जाने वाले वक्तव्य को दिनांक 21 अगस्त, 2019 के लिए स्थगित किया गया।

माननीय अध्यक्ष की टिप्पणी

माननीय अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक दल द्वारा सदन से बहिर्गमन करने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "यह खेद का विषय है कि जिन माननीय सदस्यों के बार-बार आग्रह करने पर नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा लगाई गई है, वही सदन में उपस्थित नहीं है जबकि यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है।"

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) ने ऊना में घटित घटना पर सरकार के सकारात्मक रुख के बावजूद कांग्रेस विधायक दल के सदन की कार्यवाही न चलने देने व प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान बारे चर्चा के लिए लाए गए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा न करने के रवैये की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल से अनुरोध किया कि वह सदन में आकर जनहित के विषयों पर चर्चा करें।

मुख्य मंत्री ने भी कांग्रेस विधायक दल से माननीय अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छी सोच के साथ ऊना प्रकरण में निष्पक्ष जांच बिठाई है। सरकार के बीते कार्यकाल से स्पष्ट है कि किसी भी मामले में बदले की भावना से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

चूंकि श्री महेन्द्र सिहं, सिचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री सदन में शोरगुल के कारण अपनी बात नहीं रख पाए थे इसलिए माननीय अध्यक्ष ने उन्हें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया।

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दल जब वर्ष 1997 में सत्ता में था तब 21 दिसम्बर, 1997 को उन्हें उसी दल का विधायक होने के बावजूद उनके निर्वाचन क्षेत्र में ही तत्कालीन मुख्य मंत्री की सभा के दौरान मुख्य मंत्री के आदेश से मंच से हटा कर पुलिस अधीक्षक मण्डी द्वारा गिरफ्तार तक कर लिया गया था जबकि आज कांग्रेस विधायक दल विधायक के स्टाफ से पूछताछ किए जाने के मामले का भी इतना विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि सदन का हर पल महत्वपूर्ण एवं कीमती है, इसलिए कांग्रेस विधायक दल को इस तरह का विरोध छोड़कर कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। उन्होंने विपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन करने की निंदा की।

(12.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.00 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

सर्वश्री जगत सिंह नेगी, अनिरूद्ध सिंह, राम लाल ठाकुर तथा मोहन लाल ब्राक्टा सदस्यों के सदन में उपस्थित न होने पर **कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य** ने नियम-130 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करें।"

(02.10 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री राकेश पठानिया
2. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
3. श्री राजिन्द्र गर्ग
4. श्री परमजीत सिंह
5. श्री राकेश सिंघा
6. श्री सुभाष ठाकुर
7. श्री होशयार सिंह
8. श्रीमती कमलेश कुमारी

(3.30 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।

03.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 21 अगस्त, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।